

प्रार्थी आधिकार ने एक प्रार्थना पत्र
 अन्तर्गत धारा 136 श. नं. श. आदि
 नियम 1956 के तहत पेश किया
 जिसके दर्ज शरीर किया गया।
 आधिकार प्रार्थी ने प्रकरण को
 गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु
 बहल सुनने का निवेदन किया।
 जिसके स्वीकार किया जाकर आधिकार
 प्रार्थी की बहल सुनी गई। मुताबिक
 बहल आधिकार प्रार्थी के
 पिता छोयाराम पुत्र केसराम के सह
 खातेदारी की कृषि भूमी खेत रकसरा
 नम्बर 153 रकबा 3.0837 है जो बाँडे
 ग्राम डोलीया, पंचार हल्का पीथानास
 श. अ. नि. क्षेत्र बिल्लपुर नखील व
 जिला जोधपुर में आयी हुई है जिसके
 राजस्व कर्मचारियों की बूल से प्रार्थी के
 पिता व दादा का नाम छोलीया पुत्र
 केसराम अंकित कर दिया है जबकि
 प्रार्थी के पिता व दादा का सही नाम
 छोयाराम पुत्र केसराम है जिसके सही
 दर्ज किया जाना आवश्यक
 है। पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न
 दस्तावेजों के अवलोकन से प्रार्थी का
 प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर
 नखील नगर जोधपुर को आरोपित किया
 जाता है कि उपरवर्ति खातेदारी
 में प्रार्थी के पिता व दादा का सही
 नाम छोयाराम पुत्र केसराम अंकित
 कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करी